न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 102/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/ 00229

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार नं 06, रामगंजमण्डी, कोटा–326519

-- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स सीमा स्टोन सिन्डीकेट जरिये प्रोपराइटर श्रीमती शमीम बेगम पत्नी श्री अब्दूल वहीद

पता– ब्लॉक ए , इन्द्रप्रस्त कॉलोनी,रामगंजमण्डी, जिला–कोटा 326519

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिकाट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 13.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बाजार नं. 06, रामगंजमण्डी, कोटा–326519, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 07.02.2017 को रूपये 15,60,000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख साठ हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल वाणिज्यिक सम्पत्ति ब्लॉक ए–77 **IPC कॉलोनी , रामगंजमण्डी ,जिला– कोटा , राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 512 स्क्वायर फिट है,** जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2011 से **अप्रार्थी श्रीमति शमीम बेगम पत्नि श्री अब्दूल वहीद** के नाम दर्ज है। **जिसकी चर्तुसीमाएं पूरब में–रेस्ट पार्ट हाउस , पश्चिम में– 15 फिट रास्ता, उत्तर में– रामसिंह का मकान, दक्षिण में– 15 फिट रास्ता स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 30.06.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 16,30,639.95/– (अक्षरे रूपये सोलह लाख, तीस हजार, छः सौ उन्तालीस व पिचानवें पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 04.07.2019 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 04.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

को दिनांक 04.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेष फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 04.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी / बंधककर्ता **अचल वाणिज्यिक सम्पत्ति ब्लॉक ए–77 IPC कॉलोनी** , रामगंजमण्डी ,जिला– कोटा , राजस्थान **में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 512 स्क्वायर** फिट है, जो रजिस्टर्ड **विक्रय** पत्र **दिनांक 17.02.2011 से अप्रार्थी श्रीमति** शमीम बेगम पत्नि श्री **अब्दूल वहीद के** नाम **दर्ज है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–रेस्ट** पार्ट हाउस , पश्चिम में– 15 फिट रास्ता, उत्तर में– **रामसिंह का मकान, दक्षिण में**– 15 फिट रास्ता स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 13.01.2021 को सुनाया गया ।

13/1/21

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)